(क) ऐसी आग को बुझाने के लिए; और

(ख) अपनी शक्ति के भीतर सभी वैध उपायों द्वारा ऐसे वन के सामीप्य में लगी ऐसी आग को वन में न फैलने देने के लिए;

कदम उठाए।

89. भाग–घ के नियमों के उल्लंघन की दशा में कार्रवाई.– (1) जब किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वृक्ष काटा गया है या कोई वनोत्पाद ले जाया गया है तो राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन ऐसे वृक्ष या वनोत्पाद का अभिग्रहण किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट वह पन्द्रह दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा जो ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे कि वह धारा 253 के अधीन ठीक समझे।

भाग – ङ

सरकारी वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराए जाने तथा उसे वहां से हटाए जाने का विनियमन

(धारा 241)

90. धारा 241 के अधीन आदेश की उद्घोषणा.– धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित आदेश की एक प्रति उन ग्रामों में जो अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट हों, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पट पर चस्पा की जाएगी तथा संबंधित ग्रामों में और साप्ताहिक बाजारों में, यदि कोई हों, डुग्गी पिटवाकर भी उद्घोषित की जाएगी:

परंतु यदि ऐसा आदेश हिन्दी में नहीं है तो इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार चस्पा किया जाएगा और उद्घोषित किया जाएगा।

91. ग्राम पंचायत स्तरीय समिति.– प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होगी। ऐसी ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्यगण तथा स्थानीय बीट गार्ड तथा पटवारी ऐसी समिति के सदस्य होंगे सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा और ऐसी समिति का सचिव ऐसी समिति का सदस्य–सचिव होगा।

92. राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटने के लिए आवेदन.– जब किसी ग्राम में धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश उद्घोषित कर दिया जाए तब विक्रय या व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों हेतु अपने खाते में किसी राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने का इच्छुक कोई व्यक्ति **प्ररूप–सत्रह** में लिखित में तीन प्रतियों में तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु वृक्षों को काटे जाने या काटकर गिराए जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि वृक्षों को काटा जाना या काटकर गिराया जाना मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 कस 16) के अधीन विरचित मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भूमिस्वामी के खाते में की राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर गिराए जाने और अभिवहन के लिए, यदि ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है तो कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने स्वयं इन वृक्षों का रोपण, जिसमें वाणिज्यिक रोपण भी सम्मिलित है, किया हो:

परन्तु यह और भी कि भूमिस्वामी किसी रोपण के संबंध में तहसीलदार तथा वन रेंज अधिकारी को **प्ररूप – अठारह** में अग्रिम सूचना देगा और ऐसे रोपण को, खसरा को सम्मिलित करते हुए, सुसंगत राजस्व अभिलेखों में सम्यक्‌रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–एक – इस नियम के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक रोपण" में इस नियम में यथाउपबंधित राजस्व अभिलेखों में इनके अभिलिखित होने के अध्यधीन रहते हुए, वाणिज्यिक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा उनकी कटाई सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण–दो – "राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रजातियां।

93. तहसीलदार का आदेश.– (1) आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार तुरंत ही दूसरी प्रति उपखण्ड अधिकारी, वन को और तीसरी प्रति ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को विचारार्थ भेजेगा।

(2) ग्राम पंचायत स्तरीय समिति तथा उपखण्ड अधिकारी, वन से अनुशंसा या रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् तहसीलदार यह सुनिश्चित करेगा कि इमारती लकड़ी के वृक्षों में से जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, उनमें से कौन सी इमारती लकड़ी के वृक्ष लोक हित में आरक्षित रखा जाना अपेक्षित हैं या कौन से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अपेक्षित हैं।

(3) तहसीलदार खाते में उनके अतिरिक्त, जिन्हें वह आरक्षित रखे जाने का आदेश दे, इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) ऐसे भूमिस्वामी के मामले में, जो ऐसी जनजाति का हो, जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (कमांक 12 का 1999) के उपबंध लागू होंगे।

94. **अनुज्ञा की विधिमान्यता.**— नियम 93 के अधीन भूमिस्वामी को दी गई अनुज्ञा बारह मास के लिए मान्य होगी।

95. **अनुरक्षित रखे जाने वाले वृक्षों को चिन्हित किया जाना.**— अनुरक्षित रखे जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों को निम्नलिखित रीति से चिन्हित किया जाएगा :—

(क) ऐसे वृक्ष ग्राम के पटवारी अथवा तहसीलदार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित रखे जाने के लिए चिन्हित किए जाएंगे; और

(ख) ऐसे वृक्षों पर सीने की ऊंचाई पर अर्थात् भूमि के तल से 1.3 मीटर पर कोल्तार की पट्टी होगी और वे क्रमानुसार क्रमांकित किए जाएंगे।

96. **अनुरक्षित रखे जाने के लिए आदेशित वृक्षों को संरक्षित रखने का पटवारी का कर्तव्य.**— ग्राम के पटवारी का यह देखने का कर्तव्य होगा कि ऐसे वृक्ष जिन्हें अनुरक्षित किए जाने का आदेश हुआ है, काटकर गिराए नहीं गए हैं।

97. **वनोपज का अभिवहन.**— (1) वृक्षों को काटे जाने से प्राप्त वनोपज के परिवहन को मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंध लागू होंगे।

(2) अभिवहन में वनोपज का भारसाधक कोई व्यक्ति, किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब कभी उससे ऐसा करने को कहा जाए, उसके प्रभार में की वनोपज से संबंधित पास या पासों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

98. **भाग—ङ के नियमों के उल्लंघन की दशा में कार्रवाई.**— (1) जहां किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में काट कर गिराया गया है तो उसके द्वारा या उसके आदेश के अधीन ऐसे वृक्ष की लकड़ी या काय (कारपस) का अभिग्रहण किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट वह पन्द्रह दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा जो ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे कि वह धारा 253 के अधीन ठीक समझे।